


न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

राजस्व वाद सं. 89/200 अन्तर्गत धारा 183/188 आर. टी. एक्ट.

अनवान: मंदिर शास्त्री नाम - इत्यादि खी वी०

| क्रम | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तामिल में जारी हुए |
|------|--|--|
| 09 | राजस्व वाद अधिवक्ता वादी श्री विकारस सिवांस ने पेश किया है। दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिए समन सूचित किया जाकर पत्रावली दिनांक 18.9.09 को पेश हो। | |
| |  सहायक कलक्टर, डीडवाना | |
| | वकील वकी इपण प्रतिवादीगण सं. 2 ता न की डीर से वकील श्री दानाराम मारी ने वकालत नामा पेश किया प्राप् सं. 1 बावपुद इत्या के अनुपस्थित में | |
| | मौमान 500 रूप अन्म क्रम में व्यक्त है पत्रावली दिनांक 21.10.09 को पेश | |
| | ककुलाम इपण मौमान 500 रूप अवकाश कर है पत्रावली दिनांक 24.12.09 को पेश है | |
| | ककुलाम इपण प्रतिवादी सं. 2 ता न वास्ते अतसर चाहते हैं जो दिया है प्राप् सं. 1 की विधिवत मिल नहीं हुई है। उन पारी कर मिलल दिनांक 18.2.10 को पेश | |



6/6/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप०
 शाहदतवादी वादी पेश करने हेतु
 अंतिम अवसर के रूप में समय पाया
 जो दिया जाकर पत्रावली आई-का
 दिनांक 25/7/22 को पेश है।

[Handwritten signature]

25/7/22

सहायक कलेक्टर
 डीडवाना (नागौर)

वकुलाय उप०।

पत्रावली वास्ते शाहदत वादी दिनांक 11/10/22
 को पेश है।

[Handwritten signature]

सहायक कलेक्टर
 डीडवाना (नागौर)

11/10/22

वकुलाय उप०।

साक्ष्यवादी पेश करने हेतु अंतिम अवसर दिया
 जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक 10/11/22
 को पेश है। (A)

सहायक कलेक्टर
 डीडवाना (नागौर)

10/11/22

वकुलाय उप०।

साक्ष्यवादी हेतु समय चाहिए है अतः 1000/- रु. की
 कोस्ट पर साक्ष्य वादी हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है
 पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक 28/11/22 को पेश है। (A)

सहायक कलेक्टर
 डीडवाना (नागौर)

28/11/22

पत्रावली पेश हुई।

वादी व जमीन वादी अनुपस्थित। बार-बार आवाज
 लगाई गयी। बार-बार आवाज लगाई। अनुपस्थित।
 पत्रावली अद्य दायरे अद्य पेश है। अद्य पेश है।
 पत्रावली अद्य दायरे अद्य पेश है। अद्य पेश है।

सहायक कलेक्टर
 डीडवाना (नागौर)